

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
वित्तीय वर्ष 2021-2022



सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.) - 301002




कंपनी के मूल्य

- कंपनी का हित सर्वोपरि
- ईमानदारी
- जिम्मेदारी
- परस्पर सहयोग
- गुणवत्ता
- दूरदर्शिता
- समय की पाबंदी



ध्येय वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सभी सदस्याओं से गुणवत्ता सुक्त दूध का संकलन लाभकारी मूल्य पर करेगी और दूध उत्पादन वृद्धि और व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए पशु नस्ल सुधार और तकनीक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। कंपनी अपनी सदस्याओं के आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कृत संकल्प है।



दीर्घ दृष्टि वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में राजस्थान राज्य की दूध व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख संस्थायों में से एक होगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र की दूध उत्पादक महिलाओं की पहली पंसद होगी और दूध और दूध उत्पाद की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी।

निदेशक मण्डल

(31 मार्च 2022 को स्थिति)

1.	श्रीमती मनजीत कौर	:	अध्यक्षा
2.	श्रीमती पिंकी शर्मा	:	निदेशक
3.	श्रीमती सुनीता बाई	:	निदेशक
4.	श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी	:	निदेशक
5.	श्रीमती गीता देवी	:	निदेशक
6.	श्रीमती मुकेश देवी	:	निदेशक
7.	श्रीमती कौशल्या	:	निदेशक
8.	श्रीमती सुनीता देवी	:	निदेशक
9.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री सुनील शर्मा	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक अंकेक्षक
मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट,
चार्टर्ड अकाउटेन्ट
दिल्ली

आंतरिक अंकेक्षक
मैसर्स अन्स्ट एंड यंग एलएलपी,
चार्टर्ड अकाउटेन्ट
गुरुग्राम, हरियाणा

कंपनी सचिव
श्री सौरभ जैन

वित्त प्रवन्धक
श्री गौरव खंडेलवाल

बैंकर्स
बैंक ऑफ़ बड़ौदा, अलवर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, अलवर,
कोटक महिंद्रा बैंक, अलवर, आईडीबीआई बैंक, अलवर

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट (आर.टी.ए.)

लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

नोबेल हाईट, प्रथम तल, प्लाट स. एनएच-2,
सी-1 ब्लॉक, एलएससी, जनकपुरी, न्यू देहली-110058

पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय: प्लाट स.-8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर -301002

कोर्पोरेट पहचान संख्या: U01122RJ2016PTC049648

टेलीफोन 0144-2330332

इ मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाइट: www.sakhimilk.com

क्रम स.	विवरण	पेज
1.	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	5-16
2.	अंकेक्षको की रिपोर्ट एवं उनके अनुलग्नक	17-31
3.	वित्तीय खाते एवं उनके नोट्स	32-48
4.	सांतवी वार्षिक आम सभा का नोटिस एवं सम्बंधित अनुलग्नक छठी वार्षिक आम सभा के मिनिट्स	49-64
5.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट	65-66
6.	प्रतिनिधि फॉर्म	67-68
7.	प्राप्ती रसीद	69
8.	उपस्थिति पर्ची	70



नोट:- हिंदी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे ।

निदेशकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिए:-

निदेशकों को 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित खातों के साथ सातवीं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मार्च 2016 को राजस्थान राज्य में किया गया जो सदस्याओं से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन संबंधी सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया।

वित्तीय परिणाम:-

संक्षिप्त में वित्तीय प्रदर्शन निम्न प्रकार हैं:-

विवरण	31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रुपये में)	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रुपये में)
संचालन से राजस्व	24,101	16,426
अन्य आय	69	71
कुल राजस्व	24,170	16,496
कुल खर्च	23,836	16,348
कर के पूर्व लाभ/(हानि)	334	148
कर के लिए प्रावधान	81	43
कर के पश्चात लाभ/(हानि)	252	105

कम्पनी के संचालन का विवरण:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 16426 लाख से बढ़कर 24101 लाख हो गया, इस प्रकार इसमें 46.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रुपये 16,348 लाख की तुलना में वृद्धि के साथ रुपये 23,836 लाख रहे हैं। कर पश्चात लाभ बढ़कर 252 लाख हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 105 लाख था।

सीमित लाभांश:-

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने आठ रुपये प्रति समता अंश की दर से 669005 समता अंशों पर कुल रुपये 53,52,040 /- (तिरेपन लाख बाबन हजार चालीस रुपये) लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा की है। लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्याओं को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2022 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तान्तरण:-

कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने 1,98,90,224 /- (एक करोड़ अठानवे लाख नब्बे हजार दो सौ चौबीस रुपये) की राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बैलेन्स-शीट में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया है।

संचालन की समीक्षा:-

दुग्ध संकलन

कम्पनी दुग्ध संकलन का संचालन पांच एमसीसी और एक बीएमसी लोकेशनों के माध्यम से अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरु जिले के 600 गाँवों में कर रही है। इसके अलावा, कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरु जिले के 150 अतिरिक्त गाँवों में दुग्ध का संकलन प्रारम्भ किया है। इस प्रकार कम्पनी दुग्ध का संकलन 5 एमसीसी और एक बीएमसी के माध्यम से राजस्थान के 4 जिलों अलवर भरतपुर झुंझुनू एवं चूरु के 750 गाँवों में किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 5,37,81,360 लीटर तरल दुग्ध का संकलन किया है।

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सखी डेयरी के नाम से सखी घी आधा लीटर पैक लॉन्च किया।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने राजस्थान के झुंझुनू और चिड़ावा शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के माध्यम से सम्पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के साथ शुद्ध दूध की सप्लाई सीधे उनके द्वार स्तर पर शुरू की है।

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के पास 34,792 बोर्ड अनुमोदित सदस्य थे। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में सदस्यता में वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार सदस्याओं ने कम्पनी के कार्यों में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कम्पनी की विकास गाथा को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्याओं के परस्पर सहयोग और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतम शिखर तक

पहुँच जायेगा। सदस्याओं को कम्पनी में नियमित दुग्ध आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने अपनी सदस्याओं को 170 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया है।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का संबंध है, कम्पनी अपने द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपनी सदस्याओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि के माध्यम से क्षमता को बढ़ाने और उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

उत्पादकता बढ़ाने हेतु सेवाएँ:-

आहार संतुलन कार्यक्रम -(RBP)

कम्पनी के संचालन क्षेत्र में, उत्पादक पुरानी भोजन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर भोजन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP) को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आहार संतुलन कार्यक्रम के तहत 15,013 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ:-

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 25,442 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 45 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

बाँझपन उपचार शिविर:-

क्यों कि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने संचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कुल 300 बाँझपन उपचार शिविरों में 5,365 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 2,342 मवेशियों को एनेस्ट्रेस (anestrous) से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 4,362 मवेशी ठीक हो गए हैं।

कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट (CMT):-

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुग्ध उत्पादक मवेशियों के लिए कुल 15,024 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 2,451 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज किया गया एवं इन्हें ठीक किया गया।

पशु आहार:-

कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 2552 मेट्रिक टन की तुलना में 3472 मेट्रिक टन पशु आहार का विक्रय किया जो कि 36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया।

खनिज मिश्रण:-

कम्पनी ने संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खिलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 30 मेट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया।

गुणवत्तापूर्ण पहल:-

सभी बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) और मिल्क चिलिंग सेंटर (एमसीसी), जिनका उपयोग किया जा रहा है, कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित हैं। कम्पनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कम्पनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी सम्बन्धितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान

किया है जो सीधे दुग्ध की गुणवत्ता से जुड़े हैं। ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 133 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3259 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। हम खाद्य सुरक्षा प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने की योजना बना रहे हैं और पहले ही एंटीबायोटिक दवाओं के परीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। हम प्रेषण केंद्र पर सभी जावक टैंकों की टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान हमने सभी जावक टैंकों में जीपीआरएस सिस्टम शुरू किया है जिससे सभी टैंकों की निर्धारित मार्ग से समय पर पहुँच सुनिश्चित हो पाई है।

उत्पादक संस्था विकास:-

पीआईबी बेहतर प्रशासन विधि और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के जरिए कारोबार को मजबूत करता है। कम्पनी के कारोबार में सदस्यता और सदस्या भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके।

पीआईबी गतिविधियाँ मुख्य रूप से अपनी खुली एवं पारदर्शी शासन विधियों और उनके संरक्षण के अनुपात में इक्विटी के प्रति सदस्या के योगदान के माध्यम से डेयरी क्षेत्र के अन्य प्रतियोगियों से प्रोड्यूसर कम्पनी को अलग करती हैं।

एमपीसी कोर डिजाइन सिद्धांत:-

कोर डिजाइन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों को केवल महिला सदस्याओं के साथ प्रतिबंधित किया गया है। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता की व्यवसाय एवं प्रशासन विधि में भागीदारी को सदस्या शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्याओं ने वर्ष के दौरान मैचिंग अंश पूंजी में अंशदान को पूरा किया है।

ग्राम स्तर पर विलेज कांटेक्ट ग्रुप (वीसीजी) नाम के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्या संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया गया जो सदस्याओं और कम्पनी के बीच पारस्परिक संचार सुनिश्चित करने के लिए सामयिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्याओं की शिकायतों का समाधान हो सके। कर्मचारियों की व्यवहार्यता और आत्म-निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए तथा व्यवसायिक संचालन के कुशलतापूर्वक प्रबन्धन और उच्च श्रेणी की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यवहार और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:-

सदस्याओं को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। सदस्याओं, संभावित सदस्याओं और कर्मचारियों को शामिल करते हुए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार थे -

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	निदेशक मण्डल के लिए व्यवसाय और शासन रणनीति कार्यशाला	1	7
2	कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	1	40
3	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	133	3259
4	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	720	18319
5	ग्रामीण युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम	5	154
6	ग्रामीण स्कूली बच्चों का जागरूकता कार्यक्रम	2	125
7	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (वीसीजी)	25	3070
8	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (एमआरजी)	52	612

कोविड महामारी को देखते हुए कर्मचारियों और सदस्याओं एवं कम्पनी से जुड़े सभी संबंधितों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन जूम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया।

वर्ष के दौरान कंपनी ने दिसंबर, 2021 में कृषि उद्यमी कृषक विकास चैंबर द्वारा आयोजित पुरस्कार श्रेणी में भाग लिया और जिसमें सखी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड को माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भारत सरकार के मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा महिला किसानों को सशक्त बनाने वाले एफपीओ से सम्मानित किया गया।

वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सामग्री में परिवर्तन :-

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस रिपोर्ट की तारीख तक सामग्री/आवश्यक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कम्पनी की स्थिति और इसके भविष्य का संचालन प्रभावित हो।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अंश पूंजी और सदस्यता :-

31 मार्च, 2022 तक, प्रदत्त समता अंश पूंजी 669.005 लाख रुपये थी, जिसमें कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सौ रुपये के 669.005 समता अंश और 34792 सदस्या शामिल थी। 31 मार्च, 2022 के बाद, कम्पनी ने 4,367 सदस्याओं की सदस्यता रद्द कर दी है, जिनके पास 40146 शेयर थे और 2,833 नए सदस्याओं को नामांकित किया जिन्हें 42.243 लाख रुपये की अंश पूंजी आवंटित की है। और इस प्रकार इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्याओं की कुल संख्या 33,258 है और जिनकी अंश पूंजी 671.102 लाख रुपये है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति:-

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्या थी, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगी। वोट का अधिकार हर उस सदस्या को होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

निदेशक मण्डल:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री ब्रजेश नारायण सिंह ने 27 जुलाई, 2021 से अपना इस्तीफा दे दिया और श्री सुनील शर्मा को 16 अगस्त, 2021 से दो वर्ष की अवधि के लिए कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान श्रीमती मुकेश देवी कंपनी की निदेशक ने त्याग पत्र दे दिया है और परिणामस्वरूप उक्त रिक्ति को श्रीमती बबिता को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करके भरा गया है जो की आगामी वार्षिक आम सभा तक पद धारण करेंगी।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में श्रीमती मनजीत कौर और श्रीमती गीता देवी आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगी। अपात्र होने के कारण वे पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं। परिणामी रिक्तियों को श्रीमती रेखा कुमारी और श्रीमती ललिता को नियुक्त करके भरा जा सकता है।

निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण:-

जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक है। कम्पनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि -

क वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

ख निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि 31 मार्च 2022 तक कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

ग कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

घ निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया है।

ङ निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

अंकेक्षक:-

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, मेसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली को कंपनी की अपनी छठी वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा अंकेक्षण:-

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही एवं उचित आन्तरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है।

मैसर्स रे एण्ड रे चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स को स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है जो कि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आँतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते हैं।

मैसर्स अन्स्ट एण्ड यंग, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) को 1 अप्रैल 2022 से अतिरिक्त अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मानव संसाधन:-

कम्पनी से सम्बंधित लोग कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी:-

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य संचालन में दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने सखी डेयरी एप लॉन्च किया।

कर्मचारियों का विवरण:-

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पठित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

अ .कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

ब .विदेशी विनिमय आय तथा निकासी: आय - शून्य, निकासी - शून्य

बैठकें -:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की नौ (9) बैठकें विधिवत रूप से दिनांक 29.04.2021, 18.06.2021, 09.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021, 20.10.2021, 09.12.2021, 08.02.2022 और 30.03.2022. को आयोजित की गईं।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:-

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया है।

सम्बन्धित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण:-

सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्था आर्म्स लैन्थ प्राईस के आधार पर की जाती हैं। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट्स के नोट संख्या 37 पर दिखाई देता है।

वार्षिक विवरण का सार:-

कम्पनी का वार्षिक विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.sakhimilk.com पर उपलब्ध है।

धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

जोखिम प्रबन्धन नीति:-

मैसर्स रे एंड रे आन्तरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। हमारी कम्पनी के पास किसी भी जोखिम जिससे

कम्पनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है की पहचान करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है।

जमा -:

अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमा से सम्बन्धित विवरण के सम्बन्ध में किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी में कोई जमा नहीं है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण -:

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड-:

लागत लेखा परीक्षा और लागत अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत स्पष्टीकरण-:

कम्पनी के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) और उसके अनुपालन में आन्तरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कम्पनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

कम्पनी की सामाजिक जिम्मेदारी-:

कम्पनी सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016-:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था या न ही कोई कार्यवाही लम्बित थी।

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म):-

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

आभार:-

कम्पनी का निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान अपनी सदस्याओं, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा दिए गए उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सभी सम्बन्धितों के सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं, जिनके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास सम्भव नहीं था।

वास्ते निदेशक मण्डल

मनजीत कौर

अध्यक्षा

डीआईएन 07674902

दिनांक -19.07.2022

स्थान - अलवर

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिए

वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

राय

हमने सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2022 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित ("लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों, के मामलों की स्थिति के अनुरूप है और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ और उसका नकदी प्रवाह की स्थिति के अनुरूप है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) (एसए) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशक की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है।

- जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें एसए 720 के तहत 'अन्य जानकारी से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' के रूप में मामले को संप्रेषित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट लेखा मानको सहित पढ़ा जाता है। इस जिम्मेदारी में कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है। इसमें कम्पनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं का पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेख, अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेने से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नहीं ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं हों।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी -

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।

• वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बयानों का परिणाम है जिससे यह संभावना होती है कि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता की यथोचित जानकारी से आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं,

(1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

(2) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते हैं।

हम अभिशासन के साथ उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों एवं संबंधों का संवाद किया है जोकि हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उचित माना जा सकता है और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि “अधिनियम” की धारा 143 (3) के अनुसार आवश्यक हो और हमारे अंकेक्षण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि -

ए) हमने वे सभी सूचनार्थ एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखे हैं जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

सी) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

डी) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है। जिसे कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि संशोधित किया गया है।

इ) 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च, 2022 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक “अधिनियम” की धारा 164(2) अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

एफ) कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक अ" को देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

जी) अधिनियम की धारा 197(16) जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु अन्य मामलों के संबंध में,

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी और दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी एक प्राइवेट कम्पनी है इसलिए धारा 197 जो कि प्रबंधक पारिश्रमिक से संबंधित है, लागू नहीं होती है।

एच) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार -

1. कम्पनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
2. कम्पनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई सामग्री निकट नुकसान था।
3. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
4. ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से ("अंतिम लाभार्थी") किसी भी तरीके से पहचाना जाता है या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करता है।

बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है। इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी।

सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

5. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया है और अधिनियम की लागू धारा 123 के अनुसार है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 29 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की लागू धारा 123 के अनुसार है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("Order/ CARO 2020") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक बी" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के भाग IV की धारा 378ZG द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक C" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पंजीकरण संख्या 4730N)

व्योम हवेलिया

पार्टनर

(सदस्यता संख्या 517925)

(UDIN:- 22517925ANGCTY3161)

दिनांक : 19.07.2022

स्थान: नई दिल्ली

स्वतन्त्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक - "अ"

उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट एवं अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ -1 (f) के तहत संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 को सखी महिला दुग्ध उत्पादक कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व-

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख-रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय-

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों को अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

हमारी राय में, हमारी उपयुक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2022 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 4730N)
व्योम हवेलिया
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 517925)
(UDIN:- 22517925ANGCTY3161)

दिनांक : 19.07.2022

स्थान: नई दिल्ली



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक बी

(उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट एवं अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ-2 के तहत संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार सामान्य लेखा परीक्षा के दौरान और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

i) कम्पनी की अचल सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के सम्बन्ध में -

क. i) कम्पनी ने सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

ii). कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाये रखा है।

ख. जैसा कि हमें समझाया गया है, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध आवधिक तरीके से सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित है, जो कम्पनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के संबंध में है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नजर नहीं आईं।

ग. कंपनी के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है और इस प्रकार आदेश का क्लाज (i) (C) लागू नहीं है।

घ. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

च बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वर्ष के दौरान या 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने की कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान (माल-इन-ट्रांजिट) को छोड़कर इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। माल-इन-ट्रांजिट के लिए, माल वर्ष के अंत के बाद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के दौरान प्रत्येक वर्ग के माल के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जब इनकी तुलना लेखा पुस्तकों से की गयी।

बी कंपनी को चालू संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश का खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- iii) कंपनी ने कोई निवेश, गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, एलएलपी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति का कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है और इसलिए आदेश के क्लॉज (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी ने लोन, इन्वेस्टमेंट और गारंटी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी ने जनता से कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vi) कंपनी के व्यवसाय/गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, CARO 2016 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

अ कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करने में सक्षम रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन से किसी भी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क राइज नहीं होता है।

बी 31 मार्च, 2022 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय के संबंध में कोई निर्विवाद राशि जिस तारीख से वे देय हैं से लेकर छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।

सी उपर्युक्त उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है जिसे कि 31 मार्च, 2022 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है।

- (viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।
- (ix) ए हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

बी कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं हैं और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच में, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

इ कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (ई) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एफ कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड (ix)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(x) ए कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ (ऋण लिखतों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का कोई प्रिफेरेन्सिअल अलोटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) ए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी या धोखाधड़ी नहीं देखी गई है अथवा वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।

बी हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी के (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

सी जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया था, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सभी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेनो के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 का पूर्णतः अनुपालन किया है, और लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के लेनदेन के विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है ।
- (xiv) ए हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है ।
- बी हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है और 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया है ।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं ।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है ।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। हालांकि, पिछले लेखा परीक्षकों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था और वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त होने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी ।
- (xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वे बैलेंस शीट की तारीख

से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा ।

(xx) कंपनी के पास पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का नेट वर्थ नहीं था, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ नहीं था और इसलिए, धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है ।

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 4730N)
व्योम हवेलिया
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 517925)
(UDIN:- 22517925ANGCTY3161)

दिनांक : 19.07.2022

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट एवं अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ-3 के तहत संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 17 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2022 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पंजीकरण संख्या 4730N)
व्योम हवेलिया
पार्टनर
(सदस्यता संख्या 517925)
(UDIN:- 22517925ANGCTY3161)

दिनांक : 19.07.2022

स्थान: नई दिल्ली

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट

	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 तक रुपये लाख में	31 मार्च, 2021 तक रुपये लाख में
A. समता एवं दायित्व			
1. अंशधारको का कोष			
(a) शेयर पूंजी	3	669.01	453.16
(b) संचित एवं अधिशेष	4	793.45	577.28
		<u>1,462.46</u>	<u>1,030.45</u>
2. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि			
		55.04	66.86
3. आस्थगित अनुदान			
	5	602.91	737.88
4. गैर चालू दायित्व			
(a) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	6	251.94	194.44
(b) दीर्घकालिक प्रावधान	7	20.24	20.15
		<u>272.18</u>	<u>214.59</u>
5. चालू दायित्व			
(a) अल्प कालीन ऋण	8	2,667.83	2,257.88
(b) व्यापार देनदारियां	9		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		1,118.25	841.01
(c) अन्य चालू दायित्व	10	161.45	217.30
(d) अल्पकालीन प्रावधान	11	0.78	0.81
		<u>3,948.31</u>	<u>3,317.00</u>
कुल		<u>6,340.89</u>	<u>5,366.77</u>
B. संपत्ति			
1. गैर चालू संपत्तियां			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	12a	748.93	746.50
(ii) अमूर्त संपत्ति	12b	9.64	11.50
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य		32.03	-
		<u>790.60</u>	<u>757.99</u>
(b) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	13	3.33	4.76
(c) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	14	32.02	1.42
(d) अन्य गैर चालू संपत्तियां	15	309.08	0.38
		<u>1,135.02</u>	<u>764.55</u>
2. वर्तमान संपत्ति			
(a) स्टॉक	16	407.44	239.05
(b) व्यापारिक प्राप्तियां	17	3,502.76	3,275.36
(c) नकद और नकद तुल्य	18	1,213.28	776.17
(d) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	19	56.45	302.46
(e) अन्य चालू संपत्तियां	20	25.95	9.17
		<u>5,205.88</u>	<u>4,602.22</u>
कुल		<u>6,340.89</u>	<u>5,366.77</u>
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें			
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)		निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
मनजीत कौर अध्यक्ष निदेशक पहचान सं.: 07674902	पिंकी शर्मा निदेशक निदेशक पहचान सं.: 09312032	धर्मेन्द्र कुमार निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक पहचान सं.: 07563916	
व्योम हवेलिया पार्टनर सदस्यता सं. 517925	सौरभ जैन कंपनी सचिव सदस्यता सं. 45759	गौरव खंडेलवाल वित्त प्रबंधक सदस्यता सं.-426048	
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 19-07-2022	स्थान: अलवर दिनांक: 19-07-2022		

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण

	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में
1. संचालन से राजस्व	21	24,101.01	16,425.68
2. अन्य आय	22	68.92	70.57
3. कुल आय (1+2)		24,169.94	16,496.25
4. खर्च			
(a) व्यापारिक वस्तुओं की खरीद	23	22,600.21	15,698.23
(b) तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन	24	(160.83)	(196.27)
(c) कर्मचारी लाभ व्यय	25	335.07	204.11
(d) वित्तीय लागत	26	133.68	84.79
(e) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	12	10.80	2.30
(f) अन्य खर्च	27	917.49	555.11
कुल खर्च		23,836.42	16,348.27
5. कर पूर्व लाभ (3-4)		333.52	147.98
6. कर व्यय:			
(a) वर्तमान कर		83.00	40.00
(b) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		1.44	(0.22)
(c) पूर्व के वर्षों से संबंधित प्रावधान शोध कर व्यय		(3.34)	3.55
		81.10	43.34
7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)		252.42	104.65
8. प्रति इक्विटी शेयर आय:	33		
(नोमिनल मूल्य रु. 100 प्रति शेयर)			
(a) मूल		48.80	32.77
(b) डायल्यूटेड		48.67	32.47
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें			
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)		निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से	
व्योम हवेलिया पाटनर सदस्यता सं. 517925	मनजीत कौर अध्यक्षा निदेशक पहचान सं.: 07674902	पिंकी शर्मा निदेशक निदेशक पहचान सं.: 09312032	धर्मेन्द्र कुमार निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक पहचान सं.: 07563916
		सौरभ जैन कंपनी सचिव सदस्यता सं. 45759	गौरव खंडेलवाल वित्त प्रबंधक सदस्यता सं.-426048
स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 19-07-2022		स्थान: अलवर दिनांक: 19-07-2022	

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
A. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
कर पूर्व लाभ	333.52	147.98
समायोजन के लिए:		
वित्त लागत - उधार पर ब्याज व्यय	132.43	84.75
ब्याज आय	(44.64)	(46.74)
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	10.80	2.30
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली/बिक्री पर लाभ	(0.43)	(0.16)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	431.68	188.13
कार्यशील पूंजी में आवाजाही के लिए समायोजन:		
स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(168.39)	(196.27)
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	(227.40)	(1,671.81)
अन्य गैर-चालू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(308.70)	-
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	246.01	(188.56)
दीर्घकालिक देनदारियों में कमी/(वृद्धि)	57.50	76.00
व्यापार देय में कमी/(वृद्धि)	277.24	159.50
प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	0.05	4.76
अन्य चालू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	(10.70)	101.89
संचालन एवं प्रयुक्त से अर्जित रोकड़	297.29	(1,526.36)
शुद्ध आय कर (भगतान)/वापसी	(110.26)	(99.52)
प्रयुक्त परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)	187.03	(1,625.88)
B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है	(650.59)	367.96
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत व्यय (शुद्ध प्राप्त अनुदान)	(234.53)	(17.29)
प्राप्त ब्याज	27.85	44.98
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वसूली/बिक्री से प्राप्त आय	0.74	0.16
प्रयुक्त निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)	(856.53)	395.81
C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
शेयर पूंजी जारी करने से आय	148.99	152.13
प्राप्त अंश आवेदन राशि	55.04	66.86
कार्यशील पूंजी उधार में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	409.96	1,316.18
लिमिटेड रिटर्न / लाभांश भगतान	(36.25)	(21.59)
वित्त लागत का भगतान	(121.72)	(84.75)
प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)	456.01	1,428.83
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(213.49)	198.76
(ए+बी+सी)	303.28	104.52
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	89.79	303.28
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	89.79	303.28
नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:		
बैंकों के साथ शेष राशि:		
चालू खातों में	86.86	87.25
बचत खातों में	2.93	3.03
जमा खातों में	-	213.00
कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	89.79	303.28
जोड़ें: बैंक बैलेंस को नकद और नकद समकक्ष नहीं माना जाता है	1,123.48	472.89
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और बैंक बैलेंस (नोट 16)	1,213.28	776.17
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें		

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए

चाटर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

मनजीत कोर

अध्यक्ष

निदेशक पहचान सं.: 07674902

पिंकी शर्मा

निदेशक

निदेशक पहचान सं.: 09312032

धर्मेंद्र कुमार

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान सं.: 07563916

व्योम हवेलिया

पार्टनर

सदस्यता सं. 517925

सौरभ जैन

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

गौरव खंडेलवाल

वित्त प्रबंधक

सदस्यता सं.-426048

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 19-07-2022

स्थान: अलवर

दिनांक: 19-07-2022

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

1. कॉर्पोरेट जानकारी

सखी महिला लिमिटेड प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 19 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049648) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दूध की पलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दूध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दूध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रजनन, पशु-आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुड़ी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां इस प्रकार हैं:

ए लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा गया है। और कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") के प्रासंगिक प्रावधान जो लागू हैं। एमसीए ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के तहत प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू अनुभागों को 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020' के तहत अधिसूचित किया है और साथ ही प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू होने वाले नियमों को "प्रोड्यूसर कंपनी नियम, 2021" के रूप में जाना जाता है। कंपनी के वित्तीय लेखांकन के उपाजित आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

बी अनमानों का उपयोग

भारतीय जीएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयोग किये विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे जात/कार्यान्वित होते हैं।

सी नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

रोकड़ प्रवाह के प्रयोजन से रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंकों के पास मांग जमाये शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष (अधियहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश जिन्हें कभी भी आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

डी नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, जिससे विशेष मदों से कर पूर्व लाभ/(हानि) गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों तथा कोई भी अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियां या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या उपाजित रोकड़ प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है।

इ राजस्व मान्यता

खरीदारों को महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कारों के हस्तांतरण पर, रिटर्न और व्यापार छूट का शुद्ध, बिक्री को मान्यता दी जाती है, जो कि आम तौर पर याहकों द्वारा माल की सुपदगी एवं स्वीकृति के साथ मेल खाता है।

एफ अन्य आय

जमा राशियों पर ब्याज की आय को उपाजित आधार पर मान्यता दी जाती है।

जी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य हास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने हैं), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

एच अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति उनके अधियहण की लागत में से संचित परिशोधन हानियों को घटा कर बताई गई है। एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उदय में प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की मूल्यहास राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वातम अनुमान पर एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कंपनी सॉफ्टवेयर लागतों का पूंजीकरण करती है जहां यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाता है कि सॉफ्टवेयर का स्थायी उपयोगी जीवन है। तीन साल के उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान पर सॉफ्टवेयर का मूल्यहास किया गया है।

संपत्ति जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और ब्याज शामिल हैं।

आई मूल्यहास और परिशोधन

संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति के अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थिति, पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्थापन, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव समर्थन, तकनीकी सलाह के आधार पर मूल्यांकन की गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

मूल्यहास चार्ज करने के लिए माना जाने वाला उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

विवरण	उपयोगी जीवन वर्षों में
फर्निचर व फिक्सचर	10 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	4 एवं 10 वर्ष
कंप्यूटर (सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
ऑफिस उपकरण	5 वर्ष

मूल्यहास का आंकलन खरीद की तिथि से आनापतिक आधार पर किया गया है।

जे इन्वेंटरी

इन्वेंटरी में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं। अप्रचलन और अन्य नुकसान, जहां आवश्यक समझा जाता है, प्रदान करने के बाद इन्वेंटरी का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी शुल्क शामिल हैं। तैयार माल में उपरिव्यय का उचित अनपात शामिल है।

के अनदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्यहास योग्य संपत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, तथा उसे संपत्ति के उपयोगी अवधि के आधार पर सुनियोजित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, अर्थात् ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्ति पर मूल्यहास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशी को कम करते हुए लाभ हनी खाते में दर्शाया जाता है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है और संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

एल कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

ए निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में किए जाने वाले योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

बी निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। ग्रेच्युटी को बैलेंस शीट की तारीख में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्टड यूनिट क्रेडिट दधति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

सी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह

डी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

एम प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि सभी डायल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां परिणाम एंटी-डायल्यूटेड हैं।

एन आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है। स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर संपत्तियों की पहचान विभिन्न मद्दों की समय भिन्नता के आधार पर गैर-शोषित-मूल्य ह्रास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुए भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियाँ हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियाँ तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कंपनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

ओ ऋण लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और सहायक लागत शामिल हैं। उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती हैं, जो कि ऐसी संपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक संपत्ति के निर्माण / विकास से संबंधित गतिविधियों के शुरू होने से संबंधित अवधि से संबंधित होती है, को उस की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस वर्ष के लाभ-हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

पी संपत्ति की अनपस्थिति

प्रत्येक बैलेंस शीट की तिथि को कंपनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कंपनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा। संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातों में आय के रूप में माना जाता है।

क्यू खंड की जानकारी

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कंपनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगी हुई है। इसे एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना गया है।

आर प्रावधान और आकस्मिकताएं

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वातम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में की जाती है और वर्तमान सर्वातम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

एस लीज

पट्टे की व्यवस्था जहां जोखिम और पूरस्कार की घटना एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए काफी हद तक पट्टेदार के पास निहित होती है, को परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज रेंट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लाभ हानि खातों में पहचाना जाता है।

टी संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में बसूली के आधार पर कंपनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

नोट 3: शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	अंशों की संख्या	रुपये लाख में	अंशों की संख्या	रुपये लाख में
(a) अधिकृत अंश पूंजी समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	1,000,000	1,000.00	1,000,000	1,000.00
(b) जारी, अभिदान और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	669,005	669.01	453,163	453.16

नीचे (i) से (iv) तक के नोट देखें
नोट्स:

(i) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

"कंपनी ने केवल एक वर्ग के 100 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का हकदार है। सदस्य कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान:

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	
	अंशों की संख्या	रुपये लाख में	अंशों की संख्या	रुपये लाख में
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	453,163	453.16	269,828	269.83
वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समायोजन के बाद)	215,842	215.84	183,335	183.34
	669,005	669.01	453,163	453.16

(iii) वर्ष के अंत में बकाया शेयर

कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत (अब कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय XXI-A) के तहत 'प्रोड्यूसर कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्या के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 5% या अधिक नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद/बैंक या बोनस के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(vii) प्रमोटरों की शेयरधारिता का विवरण:

क्र.सं.	प्रमोटरों का नाम	1 अप्रैल, 2021 को शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च 2022 को शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	सनीता बाई	6.00	2.00	8.00	0.00	33.33
2	पिकी शर्मा	72.00	9.00	81.00	0.01	12.50
3	मनजीत कौर	13.00	9.00	22.00	0.00	69.23
4	गौता देववी	140.00	181.00	321.00	0.05	129.29
5	हंसा कुमारी	30.00	-	30.00	0.00	-
6	मकेश देवी	52.00	-	52.00	0.01	-
7	कोशल्या देवी	41.00	9.00	50.00	0.01	21.95
8	सनीता देवी	8.00	-	8.00	0.00	-

नोट 4: रिजर्व और अधिशेष

	31 मार्च, 2022 तक रुपये लाख में	31 मार्च, 2021 तक रुपये लाख में
(ए) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	541.03	472.63
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	198.90	68.40
अंतिम शेष	739.93	541.03
(बी) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	36.25	21.59
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ घटाए:	252.42	104.65
31 मार्च, 2021 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश) (₹.8/- प्रति शेयर)	36.25	-
31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश) (₹.8/- प्रति शेयर)	-	21.59
जनरल रिजर्व में स्थानांतरित	198.90	68.40
अंतिम शेष	53.52	36.25
	793.45	577.28

नोट 5: आस्थगित अनुदान

प्रारंभिक शेष	737.88	516.99
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट 34 देखें)	-	319.32
घटाए: पूंजीगत अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यहास (नोट 12 देखें)	134.66	98.31
घटाए: संपत्तियों की बिक्री/निपटान का प्रभाव	0.31	0.13
अंतिम शेष	602.91	737.88

नोट 6: अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

(ए) सहायक एवं अन्य से प्राप्त व्यापारिक सुरक्षा जमा	251.94	194.44
	251.94	194.44

नोट 7: दीर्घकालिक प्रावधान

(ए) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (नेट ग्रेच्युटी फंड ₹. 19.81 लाख; पिछले वर्ष ₹. 6.64 लाख)	-	4.70
(ii) लीव एन्केशमेंट का प्रावधान	20.24	15.45
	20.24	20.15

	31 मार्च, 2022 तक Rupees in lacs	31 मार्च, 2021 तक Rupees in lacs
नोट 8: अल्पकालीन ऋण		
बैंकों से:		
(ए) सुरक्षित ऋण (नीचे नोट (i) देखें)		
(i) कार्यशील पूंजी ऋण (मांग पर चूकाने योग्य)	0.00	-
(बी) असुरक्षित ऋण		
(i) बिल छूट की सुविधा	2,667.83	2,257.88
	2,667.83	2,257.88

नोट:

- (i) आईडीबीआई बैंक से कार्यशील पूंजी ऋण बैंक ओवरड्राफ्ट की प्रकृति में हैं और बैंक के साथ कंपनी की सावधि जमा के खिलाफ सुरक्षित हैं (नोट 14 देखें)

नोट 9: व्यापार देय

(ए) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 38 देखें)	-	-
(बी) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	1,118.25	841.01
	1,118.25	841.01

नोट:

- (i) * प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (एमएसएमईडी अधिनियम) में पंजीकृत नहीं है इसलिए कंपनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नहीं है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।
- (ii) व्यापार देय ऐजिंग की अनुसूची:

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	भगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कल
		अन विल्ड ड्युज	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
(i)	एमएसएमई						
	31 मार्च 2022 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2021 को	-	-	-	-	-	-
(ii)	अन्य						
	31 मार्च 2022 को	4.94	1,113.31	-	-	-	1,118.25
	31 मार्च 2021 को	3.90	837.11	-	-	-	841.01
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई						
	31 मार्च 2022 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2021 को	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया - अन्य						
	31 मार्च 2022 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2021 को	-	-	-	-	-	-

नोट 10: अन्य चालू देनदारियां

(ए) सदस्याओं द्वारा शेयरों के समर्पण के बदले देय*	-	2.62
(बी) ब्याज उपाजित लेकिन ऋण पर देय नहीं	28.26	17.55
सी) सांविधिक प्रेषण (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, सोत पर कर कटौती आदि)	10.55	15.32
(डी) ग्राहकों से अग्रिम	12.55	32.17
(इ) कर्मचारियों को देय	48.14	31.82
एफ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद पर देय	61.95	117.81
	161.45	217.30

नोट:

- * कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZD के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के कुछ सदस्याओं को अपने इन्विट्री शेयरों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है क्योंकि ऐसी सदस्या अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी की सदस्या होने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने में विफल रही हैं तदनुसार शून्य शेयर (पिछले साल 2616 शेयर) को कंपनी को 100/- रुपये के सममूल्य पर आत्मसमर्पित कर दिया गया है और इन शेयरों को अन्य पात्र सक्रिय सदस्याओं को सममूल्य पर फिर से जारी किया गया है।

नोट 11: अल्पकालीन प्रावधान

(ए) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) ग्रेज्युटी के लिए प्रावधान (₹.19.81 लाख की नेट ग्रेज्युटी निधि; पिछले वर्ष ₹. 6.64 लाख)	-	0.21
(ii) तीव्र एन्केशमेंट का प्रावधान	0.78	0.60
	0.78	0.81

विवरण	सकल ह्रास				संचित मूल्यहास/परिशोधन				शुद्ध ह्रास	
	01 अप्रैल 2021 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को	साल के लिए	संपत्ति के निपटान पर हटा दिया गया	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
(अ) मूल संपत्ति (स्वामित्व वाली) संयंत्र और उपकरण	892.19	142.44	0.58	1,034.05	211.80	122.70	0.27	334.22	699.83	680.39
(पिछले वर्ष)	(521.12)	(371.69)	(0.62)	(892.19)	(122.31)	(89.98)	(0.49)	(211.80)	(680.39)	
फ्लिनचर व फिक्सचर (पिछले वर्ष)	(16.63)	(21.27)	(-)	(37.90)	(2.05)	(1.50)	(-)	(3.55)	(34.35)	34.35
ऑफिस उपकरण (पिछले वर्ष)	13.45	0.50	-	13.96	2.10	3.91	-	6.01	7.94	11.35
कंप्यूटर (पिछले वर्ष)	(7.66)	(5.79)	(-)	(13.45)	(1.29)	(0.81)	(-)	(2.10)	(11.35)	
कम्पटर्स (पिछले वर्ष)	43.05	-	-	43.05	22.65	9.50	-	32.14	10.90	20.40
(पिछले वर्ष)	(27.34)	(15.71)	(-)	(43.05)	(16.44)	(6.21)	(-)	(22.65)	(20.40)	
योग (अ)	986.59	142.95	0.58	1,128.96	240.10	140.21	0.27	380.03	748.93	746.50
(पिछले वर्ष)	(572.76)	(414.46)	(0.62)	(986.59)	(142.09)	(98.50)	(0.49)	(240.10)	(746.50)	
(ब) अमूर्त संपत्तियां (स्वयं उत्पन्न के अलावा)										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष)	14.24	3.39	-	17.63	2.74	5.25	-	7.99	9.64	11.50
(पिछले वर्ष)	(0.93)	(13.31)	(-)	(14.24)	(0.63)	(2.11)	(-)	(2.74)	(11.50)	
योग (ब)	14.24	3.39	-	17.63	2.74	5.25	-	7.99	9.64	11.50
(पिछले वर्ष)	(0.93)	(13.31)	(-)	(14.24)	(0.63)	(2.11)	(-)	(2.74)	(11.50)	

नोट्स

(1) मूल्यांकन एवं परिशोधन व्यय

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
मूल संपत्तियां	140.21	98.50
अमूर्त संपत्तियां	5.25	2.11
घटपट: अनुदान पर अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यांकन	134.66	98.31
	10.80	2.30

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई और उपरोक्त अनुसूची में शामिल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (टिप्पणी 34 देखें):

संपत्ति	सकल ह्रास				संचित मूल्यहास/परिशोधन				शुद्ध ह्रास	
	01 अप्रैल 2021 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 को	साल के लिए	संपत्ति के निपटान पर हटा दिया गया	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को	
मूल संपत्तियां	886.11	-	0.58	886.53	210.77	117.68	0.27	328.18	557.35	675.34
संयंत्र और उपकरण (पिछले वर्ष)	(519.38)	(367.35)	(0.62)	(886.11)	(121.97)	(89.30)	(0.49)	(210.77)	(675.34)	
ऑफिस उपकरण (पिछले वर्ष)	12.11	-	-	12.11	2.04	3.61	-	5.65	6.46	10.07
(पिछले वर्ष)	(7.40)	(4.71)	(-)	(12.11)	(1.26)	(0.78)	(-)	(2.04)	(10.07)	
फ्लिनचर व फिक्सचर (पिछले वर्ष)	37.35	-	-	37.35	3.48	4.04	-	7.53	29.82	33.86
(पिछले वर्ष)	(16.08)	(21.27)	(-)	(37.35)	(2.02)	(1.46)	(-)	(3.48)	(33.86)	
कम्पटर्स (पिछले वर्ष)	32.12	-	-	32.12	20.94	6.04	-	26.98	5.14	11.17
(पिछले वर्ष)	(24.67)	(7.45)	(-)	(32.12)	(16.15)	(4.79)	(-)	(20.94)	(11.17)	
अमूर्त संपत्तियां (पिछले वर्ष)	10.04	-	-	10.04	2.60	3.29	-	5.90	4.14	7.43
(पिछले वर्ष)	(0.93)	(9.10)	(-)	(10.04)	(0.63)	(1.97)	(-)	(2.60)	(7.43)	
कुल	977.72	-	0.58	977.14	239.84	134.66	0.27	374.23	602.91	737.88
(पिछले वर्ष)	(568.46)	(-)	(0.62)	(977.72)	(142.03)	(98.31)	(0.49)	(239.84)	(737.88)	

(iii) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस

(रुपये लाख में)

विवरण	निम्न अवधि के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति की राशि				कुल
	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
परियोजनाएं वर्क इन प्रोग्रेस (पिछले वर्ष)	32.03	-	-	-	32.03
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (पिछले वर्ष)	-	-	-	-	-
कुल CWIP (पिछले वर्ष)	32.03	-	-	-	32.03

31 मार्च, 2022 तक

31 मार्च, 2021 तक

लाख रुपये में

लाख रुपये में

नोट 13: आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व) (शुद्ध)

(i) आस्थगित कर दायित्वों को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:

(a) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर

1.96

0.51

(ii) आस्थगित कर संपत्ति बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:

(a) मआवजे की अनपस्थिति और ग्रेच्युटी का प्रावधान

5.29

5.28

शुद्ध आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)

3.33**4.76**

नोट 14: दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम

(असुरक्षित, उचित माने गए)

(अ) आयकर भुगतान (124.10 लाख रुपये का नेट प्रावधान; पिछले वर्ष 40.00 लाख रुपये)

32.02

1.42

32.02**1.42**

नोट 15: अन्य गैर-चालू संपत्तियां

(अ) जमा खाते में बैंक के साथ शेष राशि

300.00

-

(बी) उपरोक्त पर अर्जित ब्याज

8.67

-

(सी) सुरक्षा जमा

0.41

0.38

309.08**0.38**

नोट

(i) सावधि जमा राशि रु. 300 लाख कार्यशील पूंजी ऋण के लिए गिरवी रखे गए हैं (नोट 8 देखें)

नोट 16: इन्वेंटरी

(कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)

(ए) बिक्री के लिए माल

335.57

193.14

(बी) स्टॉक-इन-ट्रेड (इन ट्रांजिट)

64.31

45.91

(सी) उपभोग्य

7.56

-

407.44**239.05**

नोट 17: व्यापार प्राप्तियां

(असुरक्षित, उचित माने गए)

(ए) भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया - सुरक्षित, उचित माना गया

-

-

(बी) अन्य

3,502.76

3,275.36

3,502.76**3,275.36**

(ii) व्यापार देय एजिंग की अनुसूची:

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
		छ: माह से कम	छ: माह से एक साल	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
(i)	निविदाद व्यापार प्राप्य - कंसीडर गइस						
	31 मार्च, 2022 को	3,502.76	-	-	-	-	3,502.76
	31 मार्च, 2021 को	3,275.36	-	-	-	-	3,275.36
(ii)	निविदाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध						
	31 मार्च, 2022 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2021 को	-	-	-	-	-	-
(iii)	विवादित व्यापार प्राप्य - कंसीडर गइस						
	31 मार्च, 2022 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2021 को	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य -संदिग्ध						
	31 मार्च, 2022 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2021 को	-	-	-	-	-	-

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
नोट 18: नकद और नकद समकक्ष		
(अ) नकद और नकदी के समतुल्य		
(i) बैंकों के साथ शेष राशि:		
अ चालू खातों में	86.86	87.25
बी बचत खातों में	2.93	3.03
सी जमा खातों में		
-3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता	-	213.00
नकद प्रवाह विवरण के एएस 3 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	89.79	303.28

(बी) अन्य बैंक बैलेंस

(i) जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	1,123.48	472.89
	1,213.28	776.17

नोट

(i) बैंकों के पास शेष राशि में रुपये 400.72 लाख (पिछले वर्ष 50 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है। जिनकी बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता है।

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
नोट 19: अल्पकालीन ऋण और अग्रिम (अस्ुरक्षित, उचित माने गए)		
(ए) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	0.82	0.26
(बी) ग्रेच्युटी फंड (नेट दायित्व रु.16.64 लाख; पिछले वर्ष शून्य)	3.17	-
(सी) विक्रेताओं को अग्रिम	2.03	6.53
(डी) प्रीपेड खर्च	7.70	5.57
(इ) सहायक प्रोत्साहन वसूली योग्य	5.58	6.20
(एफ) सरकारी अधिकरणों के साथ बकाया	37.14	-
(जी) धानी से प्राप्य अनूदान (नोट 34 देखें)	-	283.90
	56.45	302.46

नोट 20: अन्य चालू संपत्ति

(अस्ुरक्षित, उचित माने गए)

(अ) ब्याज अर्जित लेकिन बैंक जमा पर देय नहीं	25.95	9.17
	25.95	9.17

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष लाख रुपये में
नोट 21: संचालन से राजस्व		
(अ) उत्पादों की बिक्री		
(i) सकल बिक्री	24,855.15	16,799.56
(ii) घटाए: पुनर्खरीद के लिए तीसरे पक्ष (दूध प्रोसेसर) को बिक्री (नीचे नोट (i) देखें)	754.14	373.87
(iii) शुद्ध बिक्री	24,101.01	16,425.68

नोट्स:

(i) यह दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए तीसरे पक्ष को की गई बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ग्राहकों को बिक्री के लिए उनसे फिर से खरीदा जाता है।

उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं:

(ii) व्यापारित माल		
ए कच्चा दूध	22,395.98	15,590.99
बी घी	562.82	281.81
सी पशु आहार एवं अन्य कल	1,142.22	552.89
	24,101.01	16,426

नोट 22: अन्य आय

(ए) व्याज की आय		
(i) बैंकों में जमा पर	44.64	46.74
(बी) अन्य गैर-परिचालन आय		
(i) सदस्यता शुल्क	4.26	5.57
(ii) दंड आय	14.06	16.19
(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	0.43	0.16
(iv) स्ट्रेप बिक्री	-	0.94
(v) विविध आय	5.53	0.98
	68.92	70.57

**31 मार्च, 2022 को
समाप्त वर्ष
लाख रुपये में**

**Year ended 31
March, 2021
लाख रुपये में**

नोट 23: व्यापारिक वस्तुओं की खरीद

(ए) कच्चा दूध	19,291.81	13,709.46
(बी) घी	676.92	324.24
(सी) पशु आहार एवं अन्य	1,045.16	574.12
(डी) परिचालन व्यय (नीचे नोट देखें)	1,586.32	1,090.41
	22,600.21	15,698.23

परिचालन व्यय में शामिल हैं:

(ए) भाड़ा आवक शुल्क	689.09	501.44
(बी) सहायक को प्रोत्साहन	468.20	299.87
(सी) दूध ठंडा करने का शुल्क	264.26	182.87
(डी) सदस्यों को प्रोत्साहन	160.41	101.72
(इ) अन्य परिचालन व्यय	4.36	4.51
	1,586.32	1,090.41

नोट 24: तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन

तैयार माल की इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि) और

बिक्री के लिए माल

(अ) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
बिक्री के लिए माल	193.14	23.72
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	45.91	19.06
	239.05	42.78
(b) वर्ष के अंत में इन्वेंटरी		
बिक्री के लिए माल	335.57	193.14
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	64.31	45.91
	399.88	239.05
इन्वेंटरी में शुद्ध कमी/(वृद्धि)	(160.83)	(196.27)

नोट 25: कर्मचारी लाभ व्यय

ए) वेतन और मजदूरी	298.19	190.96
(बी) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	28.77	7.47
(सी) कर्मचारी कल्याण खर्च	8.12	5.68
	335.07	204.11

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
नोट 26: वित्त लागत		
(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	132.43	84.75
(बी) सांविधिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	1.25	0.04
	133.68	84.79

नोट 27: अन्य खर्च

(अ) स्टोर और पुर्जों की खपत	21.36	20.73
(बी) शक्ति और ईंधन	1.59	1.38
(सी) किराया	11.30	6.96
(डी) छपाई और लेखन सामग्री	9.17	5.86
(इ) मरम्मत और रखरखाव - मशीनरी	68.56	33.69
(एफ) मरम्मत और रखरखाव - अन्य	5.85	5.71
(जी) विज्ञापन और व्यापार प्रचार	27.56	23.40
(एच) माल ढलाई, अग्रेषण और वितरण खर्च	608.23	334.68
(आई) बीमा शुल्क	5.46	2.77
(जे) कानूनी और पेशेवर शुल्क	12.55	8.35
(के) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	2.01	2.34
(एल) यात्रा और परिवहन	49.85	35.86
(एम) प्रशिक्षण खर्च	20.76	16.53
(एन) उत्पादकता वृद्धि सेवाओं (पीईएस) से संबंधित व्यय	25.21	10.98
(ओ) संचार खर्च	27.79	26.25
(पी) दरें और कर	0.24	7.90
(क्यू) बैठक और अभिविन्यास खर्च	10.51	6.62
(आर) विविध व्यय	9.51	5.12
	917.49	555.11

नोट:

(i) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

(अ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.50	1.80
(बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.20	0.17
(सी) व्यय की प्रतिपूर्ति	-	0.02
(डी) उपर्युक्त पर कर	0.31	0.36
	2.01	2.34

**31 मार्च, 2022 तक
लाख रुपये में**

**31 मार्च, 2021 तक
लाख रुपये में**

नोट 28: आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं

अ आकस्मिक दायित्व

(अ) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

31 मार्च, 2022 तक कोई बकाया आकस्मिक दायित्व नहीं है।

(बी) प्रतिबद्धताओं

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (भुगतान किए गए अग्रिमों का नेट शून्य)

नोट 29

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने अपनी बैठक दिनांक 19 जुलाई, 2022 में रुपये 53.52 लाख (8 रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

नोट 30

कंपनी को इक्विटी शेयरों के लिए 55.04 लाख रुपये की अंश आवेदन राशि प्राप्त हुई है। जिसके खिलाफ 17 मई, 2022 को हई बोर्ड की बैठक में आवंटन किया गया है।

नोट 31: कर्मचारी लाभ योजनाएँ:

परिभाषित योगदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती हैं। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFCC) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्दिष्ट दर पर योगदान का भुगतान करते हैं।

कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में रु.9.02 लाख (पिछले वर्ष रु.7.47 लाख) भविष्य निधि और पेंशन निधि अंशदान के लिए रिकगनाइज किये हैं।

परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजनाओं की पेशकश करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित हैं। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। ग्रेच्युटी योजना के मामले में, कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित फंड में योगदान करती है। प्रतिबद्धताओं को वर्ष के अंत में बौद्धिक रूप से निर्धारित किया जाता है। बौद्धिक मूल्यांकन 'प्रोजेक्टड यूनिट क्रेडिट' पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बौद्धिक मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभाषित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएं वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी और राशि के संबंध में निर्धारित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति को निर्धारित करती हैं।

(i) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	लाख रुपये में	लाख रुपये में
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	11.55	6.64
व्याज लागत	0.81	0.45
चालू सेवा लागत	5.16	4.37
भुगतान किया गया लाभ	(1.39)	(0.75)
बीमांकिक दायित्व पर (लाभ)/ हानि	0.50	0.84
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	16.64	11.55
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	लाख रुपये में	लाख रुपये में

वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ
योगदान
भुगतान किया गया लाभ
योजनागत संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)
वर्ष के अंत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य

(ii) योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य

वर्ष की शुरुआत में संभावित लाभ	6.64	6.64
बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.90	-
योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	12.59	-
योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	19.81	6.64
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	लाख रुपये में	लाख रुपये में

(iv) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	0.90	-
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	(0.32)	-
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	0.58	-
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	लाख रुपये में	लाख रुपये में

(v) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	16.64	11.55
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	19.81	6.64
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	(3.17)	4.91
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	लाख रुपये में	लाख रुपये में

(vi) बैलेंस शीट रिक्तिसिलेसन

चालू सेवा लागत	5.16	4.37
व्याज लागत	0.81	0.45
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(0.90)	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.82	0.84
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5.89	5.66
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
	लाख रुपये में	लाख रुपये में

वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)

वर्ष की शुरुआत में शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	4.91	-
उपर्युक्त के रूप में खर्च	5.89	5.66
योगदान / लाभ का भुगतान	(13.98)	(0.75)
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(3.17)	4.91

कंपनी की नियोजित संपत्ति का प्रबंधन ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा अपनी ग्रेच्युटी योजना के संबंध में कंपनी के दायित्वों को निधि देने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में किया जाता है। समूह ग्रेच्युटी फंड के लिए अपने निवेश पैटर्न के संबंध में योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों के बारे में जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

परिभाषित लाभ प्रतिबद्धताओं और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होती है, जो यदि परिवर्तित हो जाती है, तो परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, वित्त पोषण आवश्यकताओं और व्यय को प्रभावित करेगी।

(vii) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
छूट की दर	7.00% p.a.	6.80% p.a.
अपेक्षित वेतन वृद्धि	10.00% p.a.	10.00% p.a.
आर्कषक मूल्य:		
30 वर्ष से कम	3%	3%
आयु 31-44 वर्ष	2%	2%
आयु 44 और उससे अधिक	1%	1%
मृत्यु दर तालिका का इस्तेमाल किया	IAL (2012-14) ultimate	IAL (2012-14) ultimate

योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर कई लागू कारकों जैसे कि योजनागत संपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार परिदृश्य आदि पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

छूट की दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिलाभ पर आधारित है, जैसा कि दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तारीख में है।

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है।

(viii) क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान

मुआवजे की असंबद्ध अनुपस्थिति के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणाएं उपरोक्त vii के समान हैं।

(ix) अनुभव समायोजन

	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
	लाख रुपये में	लाख रुपये में	लाख रुपये में	लाख रुपये में	लाख रुपये में
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	16.64	11.55	6.64	3.25	1.38
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	19.81	6.64	6.64	-	-
वित्त पोषण की स्थिति	(3.17)	4.91	-	3.25	1.38
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(0.50)	(0.84)	-	(0.21)	0.05
योजना संपत्ति पर लाभ/(हानि)	(0.32)	-	-	-	-

नोट 32: पट्टे की व्यवस्था

कंपनी ने कार्यालय परिसर के लिए पट्टे की व्यवस्था की है। कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में 11.30 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 6.96 लाख) के पट्टे के किराये के खर्च को मान्यता दी है।

भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान हैं:

विवरण	31 मार्च, 2022 तक लाख रुपये में	31 मार्च, 2021 तक लाख रुपये में
एक वर्ष से अधिक देय नहीं	-	2.32
एक वर्ष के बाद में देय लेकिन पांच साल से अधिक नहीं	-	-
पांच साल के बाद में देय	-	-
	-	2.32

नोट 33: प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
कर के बाद शुद्ध लाभ	लाख रुपये में	252.42	104.65
बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या वर्ष के दौरान	नंबर लाख में	5.17	3.19
प्रति इक्विटी शेयरों का नोमिनल वैल्यू	रुपये	100	100
प्रति शेयर मूल आय	रुपये	48.80	32.77
प्रति शेयर डायल्यूटेड आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयर	नंबर लाख में	5.19	3.22
डायल्यूटेड आय प्रति शेयर	रुपये	48.67	32.47

नोट 34: डेयरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन (DHANII) से प्राप्त / प्राप्त करने योग्य अनुदान और इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है - लेखा नीति संख्या 2 (के) देखें:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
(अ) प्रारंभिक शेष	(283.90)	(109.34)
(बी) वर्ष के दौरान प्राप्त (अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज सहित)	283.90	290.39
	-	181.05
(सी) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
(i) पूंजीगत संपत्ति के लिए:		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए	-	319.32
(i) राजस्व व्यय के लिए*	-	145.64
कुल उपयोग (i) + (ii)	-	464.96
(डी) अयोग्य शेष राशि (ए+बी-सी) - नोट 19 देखें	-	(283.90)

*व्ययवार विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
वेतन खर्च	-	34.44
पीईएस से संबंधित व्यय	-	42.20
प्रोड्यूसर जागरूकता कार्यक्रम चरण- IV	-	1.91
गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम चरण- IV	-	2.78
उन्मुखीकरण कार्यक्रम- वीसीजी चरण-IV	-	2.63
उन्मुखीकरण कार्यक्रम-एमआरजी चरण-IV	-	1.05
बीएमसी/एमसीसी स्टाफ का प्रशिक्षण चरण - IV	-	0.24
सहायक अभिविन्यास कार्यक्रम चरण - IV	-	0.46
सहायक स्टार्ड फंड चरण - IV	-	17.30
प्रशिक्षण और क्षमता चरण III	-	4.69
मेनपावर खर्च चरण-III	-	20.32
मेनपावर खर्च चरण-III	-	4.20
फेसिलिटेटर यात्रा चरण IV	-	1.24
निधि उपयोग प्रमाणपत्र के तहत पूंजीगत व्यय के रूप में प्रभारित अन्य परिचालन व्यय	-	12.18
	-	145.64

नोट:

पूंजीगत संपत्ति की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को संबंधित व्यय के साथ नेट ऑफ कर दिया गया है (नोट 2k देखें)।

नोट 35: अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	मोटर	भाउक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% से अधिक भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण
1	चार अनुपात (समय में)	चार संपत्ति	चार दायित्व	1.32	1.39	(4.97)	आवश्यक नहीं
2	ऋण-समतल अनुपात (समय में)	कुल ऋण (गैर चारु और चारु)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	1.82	2.19	(16.75)	आवश्यक नहीं
3	"ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)"	शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + व्याज + गैर-जम्मेदार परिचालन व्यय + अन्य गैर-नगद, समाविजन	ऋण सेवा = व्याज + चुकाया गया मूलधन	0.17	0.19	(11.65)	आवश्यक नहीं
4	इक्विटी अनुपात पर लाभ (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	अभित शयधारक की इक्विटी	20.25	11.66	73.63	कर के बाद लाभ में रुपये 104.65 लाख से ₹ 252.42 लाख वृद्धि के कारण भिन्नता है। इस तरह की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में चार वर्षों में मात्रा में वृद्धि और मूल्य वृद्धि दोनों के कारण है।
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	स्टॉक-इन-टैंड की खरीद + इन्वेंटरी में परिवर्तन	अभित इन्वेंटरी	17.35	27.50	(36.90)	बैरस शीट की खरीद को रुपये 96.23 लाख से 274.19 लाख से घी की इन्वेंटरी में वृद्धि के कारण भिन्नता है। साथ ही, कुल बिक्री में घी की बिक्री का हिस्सा 1.71% से बढ़कर 2.26% हो गया, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में कम कारोबार हुआ।
6	व्यापार ऋण्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध उधार बिक्री	अभित व्यापार ऋण्य	1.78	1.68	5.62	आवश्यक नहीं
	"व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)"	शुद्ध उधार खरीद	अभित व्यापार देय	5.77	5.74	0.41	आवश्यक नहीं
7	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चारु संपत्ति - चारु दायित्व	19.16	12.78	49.95	संचालन से राजस्व में वृद्धि के कारण रुपये 164.26 लाख से ₹ 241.01 लाख की भिन्नता है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में कार्यशील पूंजी लगभग समान रही है। इससे राजस्व वृद्धि की तुलना में कार्यशील पूंजी प्रबंधन में उच्च दक्षता प्राप्त हुई है।
8	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल आय	1.04	0.63	64.63	कर के बाद लाभ में रुपये 104.65 लाख से ₹ 252.42 लाख वृद्धि के कारण भिन्नता है। इस तरह की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में चार वर्षों में मात्रा में वृद्धि और मूल्य वृद्धि दोनों के कारण है।

क्रम सं.	अनुपाद	मीटर	भाजक	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% से अधिक हिस्सेदारी के लिए स्पष्टीकरण
----------	--------	------	------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------	--

10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (सं %)	व्याज और कर से पहले कमाई	नियोजित पूंजी = मुद्रा नेटवर्क मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर दायित्व	11.34	7.10	59.61	व्याज और कर से पहले की कमाई में रुपये 232.73 लाख में ₹. 465.95 लाख रुपये वृद्धि के कारण है। जबकि नियोजित पूंजी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी है। इस तरह की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में मात्रा में वृद्धि और मूल्य वृद्धि दोनों के कारण है। आवश्यक नहीं
11	निवेश पर वापसी (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	समय भारित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

नोट 36: अन्य वैधानिक जानकारी

- 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- कंपनी में प्रलोचन, निदेशिका, करपनी और संबंधित पार्टियाँ (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अधिम नहीं दिया है, जो मांग पर या बिना प्रकार जा सकते हैं।
- कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं थी और बेनामी लेनदेन (निवेश) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विन्युल डिफॉल्टरी पर दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) या उनके संघ द्वारा विन्युल डिफॉल्टरी घोषित नहीं किया गया था।
- कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं था।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान फिन्टेक मद्रा या भारतीय मद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी में विदेशी सौहार्द किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से)। संस्थाओं ("मध्यस्थ"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लोभाधीन") या अंतिम लोभाधियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।
- कंपनी के पास कोई शुल्क नहीं थी जो उसी तक सांविधिक अवधि के बाद आरओसी के साथ संजीकृत नहीं थी।
- कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियाँ") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामूहिक है) प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी ("अट्रिब्यूट बेनिफिशरिज") की ओर से किसी भी तरह से उधार या निवेश करे या अंतिम लोभाधियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

नोट 37: सेवा मानक (एसए) 18 - "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण मौखिक दिए गए हैं:

ए. संबंधित पार्टी का नाम और संबंधी की प्रकृति

संबंधी की प्रकृति	प्रकार का नाम
	धर्मनिरपेक्ष, कुमार

बी. उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन की प्रकृति और मात्रा इस प्रकार है:

विवरण	केएफपी	(रुपये लाख में)
प्रबंधन परिचालन		
धर्मनिरपेक्ष कुमार	16.80	16.80
	(15.00)	(15.00)
		योग

काष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं।

नोट 38:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण:

विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष **31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष**

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
(i) लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि	-	-
(ii) उस पर देय ब्याज लेखा वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है	-	-
(iii) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
(v) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
(vi) आगे के वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

नोट 39:

कंपनी दूध और पशुओं के चारे के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एकल व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक एएस-17 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

नोट 40:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, इसके संचालन और वसूली के आधार पर, कंपनी ने अपने परिचालन चक्र 12 महीने से कम का पता लगाया है। तदनुसार संपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।

नोट 41:

गृह मंत्रालय ने 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020 के तहत देशव्यापी तालाबंदी लागू की और कंपनी के दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के व्यापार को एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया। इसलिए, डेयरी उद्योग जिसमें कंपनी संचालित होती है, उन व्यवसायों में से है जो COVID-19 के कारण सबसे कम प्रभावित होते हैं। कंपनी का मानना है कि अब तक, कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन पर COVID-19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा, कंपनी अभी तक अनुमानों में किसी महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी बिना किसी बड़े व्यवधान के अपना व्यवसाय और संचालन सामान्य रूप से चला रही है।

नोट 42:

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से**मनजीत कौर**

अध्यक्षा

निदेशक पहचान सं.: 07674902

पिंकी शर्मा

निदेशक

निदेशक पहचान सं.: 09312032

धर्मद कमार

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान सं.: 07563916

सौरभ जैन

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

गौरव खंडेलवाल

वित्त प्रबंधक

सदस्यता सं.-426048

स्थान : अलवर

दिनांक : 19-07-2022

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की सातवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन मंगलवार दिनांक 30 अगस्त 2022 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटरियम, स्कीम नंबर-8 अलवर (राज.) पर दोपहर 01:15 बजे निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है:

1. 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2022 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना: -

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 6,69,005 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 5352040 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्याओं के रजिस्टर में उलिखित हैं।

"3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना

"संकल्प किया कि श्रीमती मनजीत कौर, (डीआईएन 07674902), निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और जो अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं करती है, उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पारित करना |

"संकल्प किया कि श्रीमती गीता देवी (डीआईएन 08565123), निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और जो अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए खुद को पेश नहीं करती है, उन्हें फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती ललिता (डीआईएन 09678803) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

5. श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना ।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया कि श्रीमती बबीता (डीआईएन **09678588**) जिन्हें **19.07.2022** से कंपनी के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्हें इस वार्षिक आम बैठक की तारीख को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

6. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

"संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

7. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमों एवं बहिर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10,00,00,000/- (केवल दस करोड़ रुपये) 10,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक से 13,00,00,000/- (तेरह करोड़ रुपये) 13,00,000 (तेरह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 3,00,000 (तीन लाख) रु.100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के इक्विटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है ।

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 13,00,00,000 रुपये है। (तेरह करोड़ रुपये) जो कि 100/- रुपये के (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 13,00,000 (तेरह लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे संकल्प किया गया है कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, कर्मों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं,

8. कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों में परिवर्तन पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित किया जा सकता है:

"संकल्प किया गया कि अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR, धारा 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधान, इसके तहत बनाए गए नियमों सहित, और कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लागू प्रावधान और एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, कंपनी के मौजूदा अंतर्नियमों को निम्नलिखित तरीके से और हद तक बदला जा सकता है:

(1) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

9.13 i. बोर्ड की बैठक के लिए कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी, जो कम से कम एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित न्यूनतम तीन होगी। उपरोक्त के बावजूद, निदेशक मंडल की बैठक के लिए कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी के बोर्ड में कोई विशेषज्ञ निदेशक नहीं है।

ii. यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा तय की गई दिनांक, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 4.3. iii. को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

कोई भी सदस्य जो सदस्यता के लिए पात्र नहीं है, उसे कंपनी द्वारा सदस्यता से हटाने के लिए एक लिखित नोटिस दिया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सदस्यता को नोटिस में

निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद बोर्ड इस मामले में फैसला लेगा।

हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या अधिक पात्रता मानदंडों में छूट दे सकता है।

आगे संकल्प किया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है।

यह भी संकल्प किया गया है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

9. संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करना।

"संकल्प किया गया है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार और दिनांक 14 जून, 2016 को कंपनी की पहली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प संख्या 08/1st AGM/14.06.2016/2016-17 के स्थान पर, व्यापार में सदस्यों की भागीदारी (यानी संरक्षण) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड नीचे दिए गए हैं:

क्रम स.	मानदंड	श्रेणी - A	श्रेणी - B	श्रेणी - C
1	एक वर्ष में कंपनी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या	>=330 दिन	>=270 दिन	>=200 दिन
2	कंपनी को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक दूध की मात्रा (लीटर में)	>=10000	>=4000	>=500
3	एक वित्तीय वर्ष के दौरान लीन महीनों (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा की तुलना में फ्लश महीनों (अर्थात् नवंबर से फरवरी) के दौरान आपूर्ति की गई दूध की मात्रा;	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं
4	सब्सक्राइब किए गए शेयरों की न्यूनतम संख्या (योगदान की गई शेयर पूंजी की राशि)	100 शेयर (₹ . 10000/-)	40 शेयर (₹ . 4000/-)	5 शेयर (₹ .500/-)

* टिप्पणी -

क) वास्तविक शेयर अंशदान या आपूर्ति की गई वास्तविक दूध की मात्रा, जो भी कम हो, को वर्ग के वर्गीकरण पर पहुंचने के उद्देश्य से माना जाएगा।

बी) संरक्षण की गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

i. सदस्य जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भर्ती हुए हैं और अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन वर्ग ए, वर्ग बी या वर्ग सी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी की सदस्यता ली है, तो उस वर्ग से संबंधित माना जाएगा।

ii. कोई भी सदस्य जो वर्ग ए या वर्ग बी के तहत मानदंडों को पूरा नहीं करेगी, वह उपयुक्त निम्न वर्ग में जा सकता है जिसके लिए सदस्य मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, वे उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

iii. जो सदस्य कम से कम 'वर्ग सी' बनाए रखने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन के अनुच्छेद 4.3 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, अगर बोर्ड उन्हें अपनी सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्यों को बिना किसी वर्ग के सदस्य माना जाएगा।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि यह पहले की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

धर्मन्द्र कुमार

दिनांक: 19.07.2022

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखित विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 17.00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।
7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
8. एजीएम स्थल पर हथियार, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं ।
9. सदस्याओं से अनुरोध है की वे कविड- 19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभा में उपस्थित हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(c) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

आइटम संख्या 3,4,5

नाम	व्यवसाय	शैक्षणिक योग्यता
श्रीमती रेखा कुमारी	पशुपालन और डेयरी	स्नातक
श्रीमती ललिता	पशुपालन और डेयरी	स्नातक
श्रीमती बबिता	पशुपालन और डेयरी	स्नातक


स्थान: अलवर

दिनांक: 19.07.2022

निदेशक मंडल के आदेश से

धर्मन्द्र कुमार

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक



व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 5

श्रीमती बबीता को 19 जुलाई, 2022 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लेखों के साथ पढ़े गए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, उपरोक्त निदेशक कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक ही पद धारण करते हैं।

बोर्ड का विचार है कि कंपनी के बोर्ड में श्रीमती बबीता की नियुक्ति निदेशक के रूप में वांछनीय है और कंपनी के लिए फायदेमंद होगी और इसलिए यह कंपनी के सदस्याओं द्वारा अनुमोदन के लिए उक्त संकल्प संख्या 5 की सिफारिश करती है।

श्रीमती बबीता स्वयं को छोड़कर कोई भी निदेशक / कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार उक्त संकल्प में किसी भी तरह से संबंधित या रुचि नहीं रखती हैं। बोर्ड उक्त प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है।

मद संख्या 7

कंपनी की वर्तमान अधिकृत पूंजी रु. 10,00,000,00 (दस करोड़ रुपये) है, और इसकी जारी, सदस्यता और चुकता शेयर पूंजी रु. 6.7 करोड़ (छः करोड़ सत्तर लाख रुपये मात्र) है। अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को अपनी चुकता शेयर पूंजी को 13 करोड़/- (तेरह करोड़ रुपये) तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 13 करोड़ (तेरह करोड़ रुपये) करने का प्रस्ताव है। और उस प्रयोजन के लिए, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को भी उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। जैसा कि साथ में नोटिस के मद संख्या 7 में संकल्प में निर्धारित किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में बताया गया है, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में बदलाव के लिए सदस्याओं की मंजूरी लेने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या 8

कंपनी के मौजूदा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में समय-समय पर लागू और संशोधित कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप आर्टिकल्स के प्रावधानों को समझने और प्रशासित करने में बेहतर स्पष्टता लाने के लिए कुछ बदलावों की आवश्यकता है, ताकि कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता को समाप्त किया जा सके। और कंपनी के व्यवसाय संचालन और प्रबंधन में लचीलापन और आसानी हो सके |

निदेशक मंडल ने 19.07.2022 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378I के अनुसार अपेक्षित बहुमत के साथ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेखों में संशोधन के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसलिए, विशेष संकल्प में प्रस्तावित परिवर्तनों को कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लेखों के कुछ मौजूदा प्रावधानों के संशोधन के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाता है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की छठवीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त मंगलवार, दिनांक 28 सितंबर, 2021 को प्रातः 09:30 बजे, रितुंभरा रिसोर्ट, सरिस्का रोड, अलवर, राजस्थान-301001 (स्थगित आम सभा अपराह्न 12.30 बजे)

उपस्थित:

1.	श्रीमती मनजीत कौर	:	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2.	श्रीमती जुल्फीना बानो	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती अंजना कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती गीता देवी	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती हंसा कुमारी स्वामी	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्रीमती सुनीता देवी	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती मुकेश देवी	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती कौशल्या	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
10.	श्री सुनील शर्मा	:	विशेषज्ञ निदेशक
11.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
12.	श्री सौरभ जैन	:	कंपनी सचिव

ए. श्रीमती मनजीत कौर ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद निर्वहन किया |

बी. अध्यक्ष ने कंपनी की छठवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्याओं और निदेशकों का स्वागत किया। अध्यक्ष ने कंपनी सचिव को बैठक के निर्धारित समय सुबह 09.30 बजे सदस्याओं की उपस्थिति के लिए कहा।

सी. कंपनी सचिव ने बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378 एवं कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की कुल सदस्याओं का एक चौथाई यानी 7,140 (व्यक्ति और प्रॉक्सी के माध्यम से) बैठक के लिए कोरम होगी |

उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार उस समय उपस्थित सदस्याओं का विवरण इस प्रकार है :

15 सदस्या व्यक्तिगत रूप से तथा 2845 सदस्या प्रॉक्सी के माध्यम से कुल 2860 सदस्या उपस्थित थी |

चूंकि सभा के लिए आवश्यक कोरम मौजूद नहीं था, कंपनी सचिव ने अध्यक्ष से अनुच्छेद 11.6 के अनुसार 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया ताकि आवश्यक कोरम मौजूद रहे और तदनुसार अध्यक्ष ने अनुमति दी।

30 मिनट के इंतजार के बाद, कंपनी सचिव ने घोषणा की कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 27 सदस्या व्यक्तिगत रूप से और 6156 सदस्या प्रॉक्सी के माध्यम से कुल 6183 सदस्या उपस्थित थे।

तदनुसार, अध्यक्ष ने घोषणा की कि बैठक शुरू करने के लिए यह एक आवश्यक कोरम नहीं है और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, उन्होंने घोषणा की कि बैठक तीन घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है और दोपहर 12.30 बजे इसी स्थान पर शुरू होगी।

स्थगित बैठक:

दोपहर 12.30 बजे स्थगित बैठक में अध्यक्ष ने वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए निदेशकों और सदस्याओं का स्वागत किया।

अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से सदस्याओं की उपस्थिति के बारे में पूछा और कंपनी सचिव ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार, 2378 शेयर रखने वाली 60 सदस्या और 2,83,186 शेयर रखने वाली 14841 सदस्या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थी और बताया कि कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आवश्यक कोरम मौजूद है।

उन्होंने कहा कि सदस्याओं का रजिस्टर और अन्य वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण के लिए उपलब्ध थे।

कंपनी सचिव ने अध्यक्ष से बैठक की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, तदनुसार, अध्यक्ष ने अनुमति दी और बैठक की कार्यवाही शुरू हुई।

डी. उपस्थित सदस्याओं की सर्वसम्मति सहमति से, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ छठवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना और सदस्याओं को पहले से परिचित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना गया।

ई. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

सदस्याओं को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को छठवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष के निर्देश पर, कंपनी सचिव, श्री सौरभ जैन ने बैठक के एजेंडे की मदों को एक-एक करके उठाया:

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा उस अवधि की निदेशकों की रिपोर्ट व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

- 1.1 श्रीमती लक्ष्मी देवी (फोलियो संख्या: 00399) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

संकल्प संख्या: 01/6THAGM:28.09.2021/2020-21

"संकल्प पारित किया गया कि 31 मार्च 2021 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किया जाता है।"

श्रीमती लज्जा (फोलियो नं.:00472) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।

2.1 श्रीमती लालता देवी (फोलियो संख्या: 001919) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 02/6THAGM:28.09.2021/2020-21

"संकल्प पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 4,53,163 समता अंशों पर रू. 36,25,304 (छत्तीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ चार रुपये मात्र) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती बबीता मीणा (फोलियो नं.:005364) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती जुल्फिना बानो (डीआईएन 07476538) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अयोग्य होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं।

3.1 श्रीमती सुनीता देवी (फोलियो संख्या: 004105) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 03/6THAGM:28.09.2021/2020-21

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती जुल्फिना बानो (डीआईएन 07476538) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अपात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती पिंकी शर्मा (डीआईएन 09312032) को निदेशक के

रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती कृष्णा देवी (फोलियो नं.: 21680) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती अंजना कुमारी (डीआईएन 08157328) के स्थान पर एक निदेशक पर विचार करना और नियुक्त करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अयोग्य होने के कारण खुद को फिर से नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं |

4.1 श्रीमती परमेश्वरी (फोलियो संख्या: 17058) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 04/6THAGM:28.09.2021/2020-21

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक अंजना कुमारी (डीआईएन 08157328) आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अपात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सुनीता बाई (डीआईएन 09312203) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती अनीता देवी (फोलियो नं.: 22430) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

5.1 श्रीमती राखा देवी (फोलियो नंबर: 24319) ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 05/6THAGM:28.09.2021/2020-21

"संकल्प पारित किया गया कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139, 140 और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो तो उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार समय-समय पर संशोधित केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, दिल्ली, (फर्म पंजीकरण संख्या 4730N) को मौजूदा सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स कालानी एंड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, जयपुर (फर्म पंजीकरण संख्या 000722C) जो इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त होते हैं और जिन्होंने वार्षिक आम बैठक में अनिच्छा व्यक्त करते

हुए एक पत्र दिया है के स्थान पर संविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में इस वार्षिक आम सभा के समापन से लेकर वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है।

श्रीमती राजेश देवी (फोलियो संख्या: 30846) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

6.1 श्रीमती बबीता देवी (फोलियो नंबर: 17978) ने सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 06/6THAGM:28.09.2021/2020-21

"संकल्प पारित किया गया कि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती रेणु देवी (फोलियो संख्या: 26050) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. कंपनी के अंतर्नियमों के लेख में परिवर्तन पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए।

7.1 श्रीमती नीलम राठौर (फोलियो नं.:31503) ने विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया |

संकल्प संख्या: 07/6THAGM:28.09.2021/2020-21

"संकल्प पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A से सम्बन्धित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR तथा अगर कोई है, कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 14 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय-समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न-अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सके) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, विशेष प्रस्ताव द्वारा वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है-

अनुच्छेद 1.1:- जहाँ कहीं भी कम्पनी अधिनियम, 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि कम्पनी के पास कोई अधिकार, विशेषाधिकार या प्राधिकार होगा यदि उसके लेखों द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, तो इस अनुच्छेद के आधार पर, कम्पनी इसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत, अधिकार या प्राधिकार प्राप्त

करने का अधिकार है, जैसा कि अधिनियम द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान और या अलग अनुच्छेद प्रदान किए बिना अनुमति दी गई है।

अनुच्छेद 1.2:- अधिनियम की अनुसूची I में विनियम 45 से 47 को छोड़कर टेबल F में निहित विनियम कम्पनी पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 1.3(i):- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A(I)के तहत कम्पनी एक निर्माता कम्पनी है।

अनुच्छेद 1.3(ii):- कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A में निर्दिष्ट लोगों के अलावा कम्पनी अधिनियम, 2013 की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान, जो एक निजी कम्पनी पर लागू होंगे, कम्पनी पर लागू होंगे, और जैसे कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जहां तक वे अधिनियम के भाग के प्रावधानों के विरोध में नहीं हैं।

अनुच्छेद 1.3(iii):- कम्पनी अधिनियम, 2013 और तदनुसार की धारा 378C (5) के तहत कम्पनी को एक निजी कम्पनी माना जाता है;

ए. अपने शेयरों को इस तरह से और इसके बाद प्रदान की गई सीमा तक स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता है; और

ब. कंपनी में किसी भी शेयर या डिबेंचर के लिए जनता को किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 2.1(i):- 'अधिनियम' का अर्थ कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) या किसी भी वैधानिक संशोधन या उस समय के लिए फिर से लागू होना है।

अनुच्छेद 2.1(vii):- 'कम्पनी' का अर्थ है सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड।

अनुच्छेद 2.1(viii):- "विशेषज्ञ निदेशक" का अर्थ अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है;

अनुच्छेद 2.1(ix):- "वित्तीय वर्ष" का अर्थ है हर साल मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली अवधि जिसके संबंध में कम्पनी का वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है।

अनुच्छेद 2.1(xiii):- 'पारस्परिक सहायता सिद्धांत' का अर्थ है अधिनियम के अध्याय XXI-A में निर्धारित सिद्धांत, और जैसा कि अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 6.8:- कम्पनी अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार अपने स्वयं के समता अंश खरीद सकती है।

अनुच्छेद 7:- समता अंशों का हस्तांतरण

कोई सदस्य बोर्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद अपने/उसके शेयरों का पूरा या कुछ हिस्सा किसी सदस्य को हस्तांतरित कर सकता है।

अनुच्छेद 9.2:- कम्पनी के बोर्ड में कम से कम पांच और पंद्रह से अधिक निदेशक नहीं होंगे। बोर्ड एक या एक से अधिक विशेषज्ञ निदेशकों को सहयोजित कर सकता है, जो निदेशकों की कुल संख्या के पांचवें हिस्से से अधिक नहीं हो, ऐसी अवधि के लिए जो बोर्ड उचित समझे।

अनुच्छेद 9.17:- निदेशक बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में उपस्थिति के लिए यात्रा और होटल व्यय सहित ऐसे शुल्क और भत्तों के हकदार हो सकते हैं, यदि कोई हो, जो अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित किया गया हो, जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

अनुच्छेद 9.18 (ii)(K):- अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकन समिति का गठन करने के लिए, सामान्य बैठक में अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में पदों के लिए पात्र सदस्याओं से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए और जैसा कि इसमें प्रदान किया गया है ये अनुच्छेद, और तदनुसार पात्र सदस्याओं को इसके विचार के लिए बोर्ड को अनुशंसा करते हैं। बदले में बोर्ड, बोर्ड की बैठक में उचित विचार के बाद, वार्षिक आम बैठक में सदस्याओं द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड के पद के लिए सदस्याओं की सिफारिश करेगा।

अनुच्छेद 11.12 (iii):- इस खंड को छोड़ दिया जाएगा।

अनुच्छेद 11.13:- सामान्य बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मर्दों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 19.1:- बोर्ड सील के लिए सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करेगा और कम्पनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों के अधीन, मुहर को किसी भी उपकरण पर नहीं लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि पहले दिए गए प्राधिकरण द्वारा उस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत बोर्ड या बोर्ड की एक समिति; बोर्ड ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकता है जो कानून के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से प्रत्येक उपकरण पर हस्ताक्षर करेगा जिस पर उसकी उपस्थिति में मुहर लगाई गई है।"

अनुच्छेद 19.2:- इस खंड को छोड़ दिया जाएगा।

"आगे यह संकल्प किया गया कि यह संकल्प पहले की सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर देता है।

श्रीमती शारदा (फोलियो नं.:32193) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. बैठक में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक शुरू होने का समय: सुबह 09.30 बजे

स्थगित बैठक दोपहर 12.30 बजे आयोजित की गई

बैठक के समापन का समय: दोपहर 2.05 बजे

बैठक का कार्यवृत्त: 12.10.2021 को दर्ज किया गया

दिनांक: 30.08.2022


अध्यक्षा

आयगत बजट

क्रम स.	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्त वर्ष 2022-23
(I)	दुग्ध खरीद	(किलोग्राम प्रतिदिन)	175,198
(II)	दुग्ध परिचालन से आय	(लाख रुपये में)	27,321.38
(III)	खरीद मूल्य	(लाख रुपये में)	23,864.60
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रुपये में)	630.78
(V)	लोगिस्तिक लागत	(लाख रुपये में)	1,577.18
(VI)	अन्य दुग्ध परिचालन लागत	(लाख रुपये में)	749.16
(VII)	स्थाई लागत	(लाख रुपये में)	481.12
(VIII)	अनुदान सहायता से पूर्व दुग्ध परिचालन से लाभ/हानि	(लाख रुपये में)	18.53
(IX)	दुग्ध परिचालन से अनुदान सहायता	(लाख रुपये में)	-
(X)	अनुदान सहायता के बाद दुग्ध परिचालन से लाभ/हानि	(लाख रुपये में)	18.53
(XI)	पीइएस क्रियाओं के लिए आयगत खर्च	(लाख रुपये में)	105.50
(XII)	पीइएस परिचालन से घाटा	(लाख रुपये में)	(105.50)
(XIII)	पीइएस क्रियाओं के लिए अनुदान सहायता	(लाख रुपये में)	-
(XIV)	पीइएस क्रियाओं से लाभ/हानि	(लाख रुपये में)	(105.50)
(XV)	अन्य आय	(लाख रुपये में)	136.89
(XVI)	कर पूर्व लाभ/हानि	(लाख रुपये में)	49.93

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केपेक्स बजट

क्रम स.	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्त वर्ष 2022-23
अ	दुग्ध परिचालन		
(I)	केन्स	(लाख रुपये में)	45.00
(II)	बीएमसी एसेसिरिज	(लाख रुपये में)	6.00
(III)	एच ओ सेटउप लागत	(लाख रुपये में)	3.00
(IV)	आईसीटी	(लाख रुपये में)	21.70
(V)	डीपीएमसीयू	(लाख रुपये में)	66.00
	केपेक्स-दुग्ध परिचालन	(लाख रुपये में)	141.70
	केपेक्स स्वयं के फंड से	(लाख रुपये में)	141.70



फार्म संख्या एमजीटी-11

प्रतिनिधि फॉर्म

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुशरण में]

सदस्या का नाम	
पता	
ईमेल	
फोलियो संख्या	

मैंसखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अंशो की सदस्या होते हुए एतदद्वारा

1. श्रीमतीफोलियो संख्या
पता ईमेल.....
हस्ताक्षर.....या उनकी अनुपस्थिति में
2. श्रीमती.....फोलियो संख्या
पता ईमेल.....
हस्ताक्षर.....या उनकी अनुपस्थिति में
3. श्रीमती.....फोलियो संख्या
पता..... ईमेल.....
हस्ताक्षर.....

को कंपनी की मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त 2022 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटरियम, स्कीम न.- 8, अलवर (राज.)-301001 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली सातवीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ ।

क्रम स.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			
2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			
3	श्रीमती मनजीत कौर (डीआईएन 07674902) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित सामान्य संकल्प पर विचार करना और पारित करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं ।			
4	श्रीमती गीता देवी (डीआईएन 08565123) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित सामान्य संकल्प पर विचार करना और पारित करना जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण खुद को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं ।			
5	श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना ।			
6	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना ।			
7	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना ।			
8	कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेदों में परिवर्तन पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना ।			
9	संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना ।			

दिनांक2022 को हस्ताक्षर किये गए ।

अंशधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुँचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी की सदस्यता होना अनिवार्य है ।

एक रुपये का
रेवेन्यू टिकट
लगाये ।

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय: प्लाट संख्या -8बीअलवर ,रूपवास रोड भवानी तोप , 301002-(.राज)

टेलीफोन2330332-0144 :

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

प्राप्ति रसीद

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं.....निवासी.....सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्या हूँ | मैंने कंपनी द्वारा भेजी गयी सातवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस सभी अनुलग्नको सहित प्राप्त कर लिया है |

सदस्या के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

दिनांक.....

स्थान.....

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या:U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय: प्लाट संख्या -8बीअलवर ,रूपवास रोड भवानी तोप , 301002-(.राज)

टेलीफोन2330332-0144 :

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या

--	--	--	--	--	--	--	--

सदस्या कोड

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मैं मंगलवार 30 अगस्त 2022 को सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सातवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ ।

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि का नाम (अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही हो तो)	

(ए) उपस्थिति के लिए

(बी) उपस्थिति और वोट देने के लिए

अंशधारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं होता उसे काट दे ।



वार्षिक आम सभा स्थल का रूटमैप

वार्षिक आम सभा स्थल
प्रताप ऑडिटोरियम
स्कीम नं. 8, अलवर



1. आम सभा स्थल पंजीकृत कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर।
2. आम सभा स्थल रेल्वे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर।
3. आम सभा स्थल बस स्टेण्ड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।



सखी घी

खाने को बनाए अति स्वादिष्ट
और सेहत को बनाए तंदुरुस्त



Sakhi Milk
Vending Machine



Sakhi Mahila Milk Producer Company Limited

Plot No. 8B, Roopwas Road, Near Bhawani Top Circle, Alwar-301002 (Raj.)

Toll Free : 76653 58358 admin@sakhimilk.com www.sakhimilk.com